न्यायालय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 39/2016 (ऑनलाईन रे0सं0–2016/00414)

सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. दुर्गा पुत्र श्री छोटू, जाति–ब्राह्मण, निवासी–लावास उर्फ मीनावाला, जयपुर। (मृतक)
   1/1 बद्रीनारायण पुत्र स्व0 श्री दुर्गा, जाति–ब्राह्मण, निवासी–लावास उर्फ मीनावाला, जयपुर।
   1/2 कन्हैयालाल पुत्र स्व0 श्री दुर्गा, जाति–ब्राह्मण, निवासी–लावास उर्फ मीनावाला, जयपुर।
   1/3 कौशल्या पुत्री स्व0 श्री दुर्गा पत्नी श्री जगदीश, जाति–ब्राह्मण, निवासी–हिम्मतपुरा, तहसील–बस्सी, जिला–जयपुर।
   1/4 कैलाशी पुत्री स्व0 श्री दुर्गा पत्नी श्री गोपीराम, जाति–ब्राह्मण, निवासी– ग्राम बेनाडा, तहसील–बस्सी, जिला–जयपुर।
   1/5 सुन्दरा पुत्री स्व0 श्री दुर्गा पत्नी श्री बाबूलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–केशोपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
   1/6 कमलेश पुत्री स्व0 श्री दुर्गा पत्नी श्री श्यामलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–गोविन्दगढ़, तहसील–चौमूं, जिला–जयपुर।
2. राज0 स्टेट इण्डस्ट्रीयल एण्ड मिनरल डवलपमैण्ट कोरपोरेशन लिमिटेड जयपुर जरिये प्रबन्ध निदेशक जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थिति :–

1. पेरोकार सरकार।
2. अप्रार्थी संख्या 1 के कायमी–मुकाम बावजूद तामील अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
3. श्री शिव प्रसाद शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से हाजिर आये किन्तु वरवक्त बहस अनुपस्थित रहे अतः एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय दिनांक : 14.08.2019

तहसीलदार, जयपुर द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि ग्राम–लावास उर्फ मीनावाला की आराजी खसरा नं0 51 रकबा 09 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर श्री ठाकुर

Scanned by CamScanner

जी सीताराम जी बहतमाम पुजारी दुर्गा पुत्र छोटू, जाति–ब्राह्मण साकिन देह खुदकाबिज मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में दर्ज थी जो कालान्तर में अवैध रूप से माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी सीताराम जी बहतमाम पुजारी दुर्गा पुत्र छोटू, जाति–ब्राह्मण साकिन देह खुदकाबिज के बजाय राज0 स्टेट इण्डस्ट्रीयल एण्ड मिनरल डवलपमैण्ट कोरपोरेशन लिमिटेड जयपुर के नाम दर्ज हो गई है, मूर्ति को नाबालिग माना गया है और मूर्ति की खुदकाबिज आराजी को निजि खातेदारी में नियमों के विपरीत दर्ज की गई है जो पुनः माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी सीताराम जी खुदकाबिज के नाम दर्ज की जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 जरिये अभिभाषक हाजिर आये परन्तु तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 2 असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने पर एवं अप्रार्थी संख्या 1 के कायमी–मुकाम बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। विद्वान् पेरोकार सरकार ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 के कॉलम सं0 04 नाम उपभोक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी सीताराम जी बहतमाम पुजारी दुर्गा पुत्र छोटू, जाति–ब्राह्मण साकिन देह व कॉलम सं0 05 नाम कृषक पिता का नाम जाति व निवास स्थान श्रेणी कृषक व कृषि काल में खुदकाबिज दर्ज थी जो बिना किसी वैध आदेश के अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये राज0 स्टेट इण्डस्ट्रीयल एण्ड मिनरल डवलपमैण्ट कोरपोरेशन लिमिटेड जयपुर के नाम दर्ज कर दी गई, जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया इन्द्राज/हस्तानान्तरण/बेचान प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। मूर्ति शाश्वत नाबालिग है नाबालिग की आराजी को अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार से अन्तरित किया जाना अवैद्य है अतः विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी सीताराम जी खुदकाबिज के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी)

Scanned by CamScanner

भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015–2034 में माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी सीताराम जी बहतमाम पुजारी दुर्गा पुत्र छोटू, जाति–ब्राह्मण साकिन देह खुदकाबिज के नाम दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाबिज भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी सीताराम जी बहतमाम पुजारी दुर्गा पुत्र छोटू, जाति–ब्राह्मण साकिन देह खुदकाबिज की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रश्नगत् प्रकरण में तो स्पष्ट रूप से वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी सीताराम जी बहतमाम पुजारी दुर्गा पुत्र छोटू, जाति–ब्राह्मण साकिन देह खुदकाबिज दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में किसी काबिज–काश्तकार की प्रविष्टि को अन्यथा रूप से दोहराने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी सीताराम जी बहतमाम पुजारी दुर्गा पुत्र छोटू, जाति–ब्राह्मण साकिन देह खुदकाबिज की भूमि का इन्द्राज राज0 स्टेट इण्डस्ट्रीयल एण्ड मिनरल डवलपमैण्ट कोरपोरेशन लिमिटेड जयपुर के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2047–2050 में निजी खातेदारी दर्ज है जो न्यायसंगत नहीं है। मूर्ति शाश्वत नाबालिग की खुदकाश्त आराजी को अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत अनुचित रूप से राज0 स्टेट इण्डस्ट्रीयल एण्ड मिनरल डवलपमैण्ट कोरपोरेशन लिमिटेड जयपुर के हक में किया गया इन्द्राज प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज को राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं। अतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी को राज0 स्टेट इण्डस्ट्रीयल एण्ड मिनरल डवलपमैण्ट कोरपोरेशन लिमिटेड जयपुर के नाम लगाये

Scanned by CamScanner

जाने की आज्ञा को निरस्त करने तथा वापिस माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी सीताराम जी खुदकाबिज के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकारान को दिनांक 14.10.2019 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पावन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम शर्मा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
उदयपुर

Scanned by CamScanner